नया रास्ता दर्ज करने हेतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

प्रार्थना पत्र संख्या ...34.../2018 दायरा दिनांक 09-8-18 निर्णय दिनांक 09/8/18

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर

– प्रार्थी

बनाम

देवीसिंह पुत्र गोपाल सिंह वगै०, सिद्दीचन्द महाजन वगै०, महावीरसिंह पुत्र ईश्वर सिंह रघुवीर सिंह पुत्र ओमसिंह, देवी सिंह पुत्र नारायण वगै०

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू.–राजस्व अधिनियम सहपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू.–राजस्व (भू.–अभिलेख) नियम 1957 बाबत् रिकार्ड के आदिनांकन/परिवर्तन की अनुमति के आदेश।

–: आदेश :–

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से संलग्न परिशिष्ट–"अ" के अनुसार स्थायी, कदीमी, निर्बाध रूप से प्रचलित बारहमासी, सार्वजनिक आम रास्तों के राजस्व रिकार्ड व नक्शे अंकन, आदिनांकन, परिवर्तन व तरमीम का निवेदन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व सुसंगत नियमों व राज्य सरकार के संदर्भित परिपत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर मौका की स्थिति के अनुसार आदेश दिये जाते है कि, वाके ग्राम ...सिरोली... तहसील मुण्डावर, जिला अलवर की आराजी ख0नं0 314/1.12, 316/1.03, 319/1.02, 325/.89, 324/1.05, 330/.64, 329/1.23 ... जिसका विस्तृत विवरण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–"अ" व नक्शा ट्रेस परिशिष्ट–"ब" में दिया गया है, परिशिष्ट–"अ" के कॉलम नं. 5 में अंकित रकबे को राजस्व रिकार्ड/ जमाबन्दी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें व नक्शा ट्रेस परिशिष्ट–"ब" लाल स्याही से दर्ज अनुसार तरमीम किया जावें। परिशिष्ट–"अ" व परिशिष्ट–"ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा खातेदारी पूर्वानुसार ही रहेगी। खातेदारी में परिवर्तन हेतु प्रार्थी नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)
09/8/18

Scanned by CamScanner